power supplies from Kerala to meet its power demands. Accordingly, the matter was taken up with Tamil Nadu Government who had agreed to supply part of the power received from Kerala to Karnataka with a maximum of 1 MU a day. The power supply of 1 MU to Karnataka was commenced from 23rd September, 1976 and continued upto 26th March, 1977 when the power supplies reduced to 0.5 MU till 11th April, 1977. Due to increasing power shortage in Tamil Nadu with the forced outage of Thermal units at Ennore, power position in Tamil Nadu became worse and export of power to Karnataka was suspended from the 11th to 21st April, 1977. The supplies were again resumed from 22nd April, 1977. About 142 MU of power was exported by TNEB to Karnataka from 23rd September, 1976 to 17th May, 1977.

Import of Nuclear Material

*60. SHRI S. D. SOMASUNDARAM: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) the categories of nuclear material imported;

(b) whether the conditions under which such imports have been made restrict in any way application of nuclear energy for constructive activities;

(c) whether Government propose to take up removal of such restrictions; and

(d) if so, the salient features of the proposal?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) only enriched uranium.

(b) The conditions require that the nuclear material imported shall only be utilized as fuel in the nuclear reactors.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

जेलों में सुविधाओं की व्यवस्था

377. श्री चतुर्भुज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तथा राज्यों की जेलों में 'ए', 'बी', 'सी' श्रेणी के बन्दियों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं :

(ख) केन्द्रीय तथा राज्यों की जेलों में बन्दियों को दी जाने वाली सुविधाओं की तुलनात्मक स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या देश की सब जेलों में बंदियों को दी जाने वाली सुविधाओं में समरुपता लाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह): (क) तथा (ख) कोई केन्द्रीय सरकार की अपनी जेल नही है और केन्द्रीय कानूनों समेत सभी कानूनों के अधीन नजरबंद, आरोपित अथवा दण्डित कैदी राज्य जेलों में रखे जाते हैं। कैदियों का वर्गीकरण और विभिन्न श्रेणी के कैदियों को दी जाने वाली सुविधाएं विभिन्न संबंधित राज्यों के तत्सम्बन्धी जेल मैनुअलों के उपबन्धों के अधीन नियमित की जाती हैं। जहां तक नजरबंदियों का संबन्ध है, प्रत्येक राज्य मीसा की धारा 5 के अधीन नजरबन्दी की शर्तों के बारे में नियम / अनुदेश जारी करने के लिय सक्षम है।

(ग) "जेलें और वहां नजरबन्द व्यक्ति..." भारत के संविधान की सातवीं अनुसूचि की प्रविष्टि संख्या 4 के अनुसार राज्य सूची में शामिल हैं। किन्तु एक आदर्श जेल नियम-पुस्तिका तैयार की गई थी और 1964 में राज्यों को उसे अपनाने के लिये भेजा गया था। देश में सभी जेलों में कैदियों की सुविधाओं की व्यवस्था के मामले में समरूपता लाने के लिये केन्द्रीय सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।